भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5271 का उत्तर

महाराष्ट्र में लंबित रेल परियोजनाएं

5271. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में और विशेषकर यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त लंबित रेलवे परियोजनाओं के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान अब तक कितनी निधि स्वीकृत की गई है और जारी की गई है;
(ग) उक्त लंबित रेल परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से रेल परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है तथा वर्तमान बजट में इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) सरकार की रेल के विकास और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना क्या है; और
(ज) छात्रों, वृद्धों और बुजुर्गों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उक्त लोगों के हितों का किस प्रकार ध्यान रखा गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार/जिला-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिले की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान तक पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

महाराष्ट्र राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। रेलवे परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेलवे-वार जानकारी भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत से 5,877 किलोमीटर कुल लंबाई की 41 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण), जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	16	2,017	166	8,529
आमान परिवर्तन	2	609	312	3,332
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	23	3,251	1,448	19,376
कुल	41	5,877	1,926	31,236

यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ नई लाइन परियोजना (284 कि.मी.) को मंजूरी दी गई है। कुल 284 किमी लंबाई में से वर्धा-कलंब खंड (39 कि.मी.) कमीशन कर दिया गया है और शेष खंड पर कार्य शुरू हो चुका है।

फरवरी 2025 तक इस परियोजना में 3,206 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 310 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

यवतमाल-वाशिम क्षेत्र में रेल संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सर्वेक्षण किए गए हैं:-

1. मुर्तिजापुर-अचलपुर आमान परिवर्तन परियोजना (76 कि.मी.)
2. मुर्तिजापुर-यवतमाल आमान परिवर्तन परियोजना (112 कि.मी.)।

महाराष्ट्र राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से आने वाली निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी गई है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1.	मनमाड-इंदौर नई लाइन (309 किलोमीटर)	16,321
2.	जालना-जलगांव नई लाइन (174 किलोमीटर)	5,804
3.	औरंगाबाद - अंकाई दोहरीकरण (98 किलोमीटर)	961
4.	परभणी-परली-वैजनाथ दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	770
5.	जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किलोमीटर)	2,574
6.	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किलोमीटर)	3,285

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और अन्य कार्यों हेतु औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,171 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	23,778 करोड़ रु. (20 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाले रेलखंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रतिवर्ष (3 गुना से अधिक)

इसके अलावा, महाराष्ट्र में फ्लैगशिप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अब, भूमि अधिग्रहण का 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। पुलों, एक्वेडक्ट आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं। समुद्र के नीचे लगभग 21 कि.मी. सुरंग का कार्य शुरू करने के लिए 3 टीबीएम के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। इस दौरान, शाफ्ट आदि के निर्माण जैसे टीबीएम के कार्य के लिए सभी प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं।

पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा महाराष्ट्र से होकर भी गुजरता है। पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे का लगभग 178 किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्र में स्थित है, जो पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 12% है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवड से न्यू वैतरणा तक इस परियोजना का 76 किलोमीटर हिस्सा पहले ही कमीशन किया जा चुका है। शेष कार्य शुरू किए जा चुके हैं। पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे को जेएनपीटी से जोड़ने से बंदरगाह से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक कार्गो और कंटेनर यातायात को संभालने की क्षमता बढ़ेगी।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2024-25) के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली कुल लंबाई 8,366 किलोमीटर के 95 अदद सर्वेक्षण (28 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 65 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग) को मंजूरी दी गई है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, लागत साझाकरण परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी का जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी, और (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

देश भर में रेल परियोजनाओं/कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, क्षेत्रीय कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। हालाँकि, इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

स्टेशन पुनर्विकास

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन का सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोर के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, औरंगाबाद, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चंदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (डीडीआर), दादर (डीआर), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हज़ूर साहिब नांदेड़, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, इगतपुरी, इतवारी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोल्हापुर, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी, कुर्ला, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज, मुदखेड़, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़, नासिक रोड, उस्मानाबाद, पाचोरा, पालघर, पंढरपुर, पनवेल, परभणी, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव, पुणे जं., पूर्णा, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार

महाराष्ट्र राज्य में स्थित 107 अमृत स्टेशनों पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और काम तीव्र गति से शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ स्टेशनों की प्रगति इस प्रकार है:

- **महाराष्ट्र राज्य के नागपुर स्टेशन पर पूर्व की ओर प्रस्थान और आगमन भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है तथा पश्चिम की ओर एयर कोनकोर्स, प्रशासनिक भवन, नए पैदल पार पुल आदि का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।**

- **माटुंगा स्टेशन पर स्टेशन भवन, बुकिंग कार्यालय, प्लेटफॉर्म सतह, प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय ब्लॉक आदि के सुधार का कार्य पूरा हो चुका है।**

- **शहाड़ स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय का सुधार, प्रवेश द्वार का निर्माण, नए शौचालय ब्लॉक, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पार्किंग क्षेत्र, भूनिर्माण आदि का कार्य पूरा हो चुका है।**

- **देवलाली स्टेशन पर प्रवेश द्वार, प्रवेश प्रांगण, चारदीवारी, नया प्लेटफार्म शेल्टर, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, लिफ्टों का प्रावधान, मानक साइनेज, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।**

- **सावदा स्टेशन पर, परिसंचरण एरिया, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था, प्रवेश द्वार, प्रांगण, चाहरदीवारी का निर्माण, स्टेशन भवन का वास्तुशिल्प सुधार, मानक साइनेज का प्रावधान आदि का कार्य पूरा हो चुका है।**

- **मनमाड स्टेशन पर नए प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार का कार्य पूरा किया गया है तथा प्रवेश द्वार, स्टेशन भवन, शौचालय, बुकिंग कार्यालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, संकेतकों, स्टेशन प्रकाश व्यवस्था, नए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण, लिफ्ट और एस्कलेटर का प्रावधान आदि के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।**

- **लासलगांव स्टेशन पर स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर के प्रावधान के सुधार कार्य, प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, शौचालय और नए बुकिंग कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।**

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार/क्षेत्र-वार। महाराष्ट्र राज्य चार जोनों अर्थात मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 3,854 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है।

भारतीय रेल पर सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन तथा स्टेशनों का विकास एक सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अध्यधीन हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए अग्नि संबंधी मंजूरी, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****